<u>न्यायालयःश्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला –बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—313 / 2010</u> संस्थित दिनांक—21 / 04 / 2010 फाईलिंग क.234503000772010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना रूपझर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

विरुद्ध

लोकेश कुमार पिता भैय्यालाल कटरे, उम्र—35 वर्ष, जाति पंवार निवासी—ग्राम गुदमा, पुलिस चौकी उकवा, थाना रूपझर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// <u>निर्णय</u> //

<u>(आज दिनांक-23/05/2016 को घोषित)</u>

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा—3/181, 146/196 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—29.01.2010 को करीब 2:00 बजे उंटघाटी व बंजारी के बीच आमा गोलाई मोड़ लोकमार्ग पर ट्रेक्टर कमांक—एम.पी—51 एम.1665 मय ट्रॉली, को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर, पलट दिया, जिससे आहत चेतनसिंह, सुक्कलसिंह, धनेश कुमार, राजकुमार, फूलवंती, महेश, योगेश्वरी, फूलसिंह, रूपेश, संपत, राजेश, सुरजीत को साधारण उपहित कारित कर, आहत भूपेन्द्र, महेश, विजय, कमलेश्वरी को ट्रेक्टर पलटकर घोर उपहित कारित की एवं उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति व बिना बीमा के चलाया।
- 2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी चेतनसिंह ने दिनांक—29.04.2010 को पुलिस थाना रूपझर में आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ट्रेक्टर कमांक—एम.पी—51/एम—1665 से डेकोरेशन का सामान ग्राम कुल्पा से ग्राम उकवा लेकर आ रहा था। ट्रेक्टर में उसके अतिरिक्त गांव के महेश, राजकुमार व अन्य लोग भी सवार थे। ट्रेक्टर को आरोपी लोकेश चला रहा था। उंटघाटी के बाद गोलाई मोड़ पर आरोपी ने अत्यधिक रफ्तार से व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोड़ा, जिससे ट्रॉली पलट गई। उसे दाहिने जांघ में चोट लगी थी। ट्रेक्टर में बैठे अन्य लोगों को भी चोटें आई थी। उपरोक्त आधार पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक—13/2010 धारा—279, 337 भा.द.वि. एवं धारा—184 मो.व्ही.एक्ट पंजीबद्ध कर

आहतगण का मुलाहिजा कराया। घटनास्थल का मौकानक्शा तैयार कर आरोपी से दुर्घटना कारित मोटरसाइकिल जप्त कर जप्तीपंचनामा तैयार किया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए। आहत भूपेन्द्र, विजय, महेश, कमलेश्वरी की एक्सरे रिपोर्ट में अस्थिमंग पाए जाने एवं आरोपी के पास वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति न व वाहन का बीमा न होने के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा—338 भा.द.वि. एवं धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम का इजाफा किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफतार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338, एवं मोटरयान अधिनियम की धारा—3/181, 146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4- У प्रकरण के निराकरण हेत् निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू यह है :--

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक—29.01.2010 को करीब 2:00 बजे उंटघाटी व बंजारी के बीच आमा गोलाई मोड़ लोकमार्ग पर ट्रेक्टर क्रमांक—एम. पी—51 एम. 1665 को मय ट्रॉली को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर, पलटाकर आहत चेतनसिंह, सुक्कलसिंह, धनेश कुमार, राजकुमार, फूलवंती, महेश, योगेश्वरी, फूलसिंह, रूपेश, संपत, राजेश, सुरजीत को साधारण उपहति कारित की ?
- 3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत भूपेन्द्र, महेश, विजय, कमलेश्वरी को ट्रेक्टर पलटाकर घोर उपहति कारित की ?
- 4. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के चलाया ?
- 5. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया ?

विचारणीय बिन्दुओं का निष्कर्ष :-

5— सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। 6— चेतनसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना 26 जनवरी 2010 की है। वह ग्राम कसंगी से ट्रेक्टर में डेकोरेशन का सामान लेकर ग्राम घोंदी आ रहा था, जिसे आरोपी चला रहा था। उदघाटी के पास ट्रेक्टर ट्रॉली पलट गई थी। ट्रेक्टर ट्रॉली में उसके अलावा लगभग अन्य 15 लोग सवार थे, जिससे उसके दाहिने पैर में चोट आई थी। उसने थाना रूपझर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी—1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मौकानक्शा प्रदर्श पी—2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका चिकित्सीय परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में हुआ था। उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि दुर्घटना के समय एक मोटरसाइकिल अचानक आ गई थी, जिसे बचाने के लिए रोकने के प्रयास में ट्रेक्टर ट्रॉली नीचे उतर गई। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि मोटरसाइकिल को बचाने के लिए ट्रेक्टर चालक ने ब्रेक लगाया था, जिससे दुर्घटना हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि मौकानक्शा प्रदर्श पी—2 पर जब उसने हस्ताक्षर किये थे, तब वह कोरा था।

7— धनेश कुमार (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। घटना 26 जनवरी 2010 की है। वह ग्राम कसंगी मेला से ट्रेक्टर में बैठकर अन्य 15 लोगों के साथ ग्राम घोंदी आ रहा था। उदघाटी के पास ट्रेक्टर तेज गित से चल रहा था, तभी सामने से एक मोटरसाईकिल आ रही थी, जिसे बचाने के लिए ड्राईवर ने ब्रेक मारा, जिससे ट्रॉली पलट गई। घटना के समय आरोपी ट्रेक्टर चला रहा था, जिससे उसे चेहरे तथा दांयी जांघ व दांत में चोटें आई थी। दुर्घटना ड्राईवर की गलती से घटित हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि सामने से आ रही मोटरसाइकिल को बचाने के लिए ट्रेक्टर चालक ने ब्रेक लगाया था, जिससे ट्रॉली नीचे उतर गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि मोड़ होने के कारण चालक ने हॉर्न बजाया था, लेकिन अचानक मोटरसाईकिल आ जाने से दुर्घटना हुई। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि वाहन चालक ने लापरवाही नहीं की थी।

8— सुक्कलिसंह (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह ग्राम कसंगी मेला देखने पैदल गया था। वापसी में वह ट्रेक्टर में अपने ग्राम छोटी घोंदी जा रहा था। उक्त ट्रेक्टर को आरोपी चला रहा था। जब ट्रेक्टर बंजारी के आगे गोलाई पर पहुंचा, तो सामने से मोटरसाईकिल आ रही थी, तो गोलाई में ट्रेक्टर पलट गया था। उस समय उतार में आरोपी ने ट्रेक्टर तेज गित से चला रहा था। ट्रेक्टर में करीब 15—16 लोग बैठे हुए थे। उक्त दुर्घटना से उसके बांए घुटने में

चोट आई थी, जिसका डॉक्टरी परीक्षण बैहर अस्पताल में हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि सामने से आती हुई मोटरसाइकिल को बचाने के लिए आरोपी ने ट्रेक्टर का ब्रेक लगाया तो दुर्घटना हो गई थी।

- 9— राजकुमार (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना पिछले वर्ष माह जनवरी की है। घटना दिनांक को वह मेला देखकर ग्राम कुल्पा से ट्रेक्टर में बैठकर अपने घर ग्राम घोंदी आ रहा था, तो ट्रेक्टर आमा गोलाई में पलट गया था। उस समय ट्रेक्टर को आरोपी चला रहा था, जो आरोपी की गलती से ट्रेक्टर पलट गया था। घटना में उसे कहीं पर चोट नहीं आई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी वाहन को सामान्य गति से चलाकर लाया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि सामने से आती हुई मोटरसाइकिल को बचाने के लिए आरोपी ने ट्रेक्टर का ब्रेक लगाया था, जिससे दुर्घटना हो गई।
- 10— पुसवंतीबाई (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना उसके बयान देने से एक वर्ष पूर्व की है। 26 जनवरी को वह ग्राम कसंगी मेला देखने गई थी और वापस आते समय वह ट्रेक्टर में बैठकर आ रही थी, तो रास्ते में सामने से जीप आ रही थी, तो उसे बचाने के लिए उनका ट्रेक्टर पलट गया था, जिससे उसके मस्तक, कलाई और पसली पर चोट लगी थी। उसका शासकीय अस्पताल बालाघाट में ईलाज हुआ था। आरोपी उस समय ट्रेक्टर को सावधानी पूर्वक व धीमी गति से चला रहा था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया कि मोटरसाईकिल को बचाने के लिए चालक ने ब्रेक लगाया था, जिससे ट्रॉली पलट गई थी।
- 11— दुपेन्द्र (अ.सा.६) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी लोकेश कुमार को पहचानता है। घटना उसके कथन से लगभग 2—3 वर्ष पूर्व की है। वह कुल्पाकावेरी से ट्रेक्टर से टैंट का सामान लेकर घर वापस उकवा आ रहा था। ट्रेक्टर को आरोपी लोकेश चला रहा था। वह सोया हुआ था, इसलिए नहीं बता सकता कि आरोपी ट्रेक्टर को किस गित से चला रहा था। ट्रेक्टर बंजारी गोलाई के पास पहुंचा तो वहां पर ट्रेक्टर की ट्रॉली पलट गई थी, जिससे उसके पूरे चेहरे पर, सीने में चोट लगी थी। उक्त ट्रेक्टर में लगभग 10 लोग बैठे थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि आरोपी वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चला रहा था, जिससे ट्रेक्टर ट्रॉली पलट गई थी। साक्षी ने इस सुझाव को से पलट गई थी। साक्षी ने इस सुझाव को से पलट विष थे, वैसे ही कथन वे दे रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि समय वह ट्रॉली में पीछे सोया हुआ था।

- 12— फूलसिंह (अ.सा.७) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी लोकेश कटरे को जानता है। घटना लगभग 4 वर्ष पूर्व की है। वह कुल्पा ट्रेक्टर से डेकोरेशन का सामान लेकर गया था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह ट्रेक्टर से डेकोरेशन का सामान लेकर घोंदी आ रहा था। उक्त ट्रेक्टर आरोपी चला रहा था, जैसे ही ट्रेक्टर उंटघाटी के पास पहुंचा और वहां पलट गया था। वह आरोपी को ट्रेक्टर धीरे चलाने के लिए कह रहा था, किन्तु वह बहुत तेज चला रहा था। उक्त ट्रेक्टर पलटने से उसे सीने में अंदरूनी चोट आई थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल पर घाट होने से बाहन धीरे चल रहा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह पीछे बैठा था, इसलिए नहीं बता सकता कि वाहन किस गित से चल रहा था और वाहन चालक वाहन को कैसे चला रहा था।
- विजय (अ.सा.८) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। वह प्रार्थी को जानता है। वह तीन वर्ष पूर्व टेंट लगाने कसई गया था। घटना दोपहर तीन बजे की है। वह ग्राम कसंगी से वापस छोटी घोंदी से डेकोरेशन लेकर वापस आ रहे थे। ट्रेक्टर कौन चला रहा था, उसे मालूम नहीं है, वह लेवर आदमी है। ट्रेक्टर स्पीड मे चल रहा था और ट्रेक्टर पलट गया था। सामने से मोटरसाईकिल आ रही थी, तो उसे बचाने के लिए ब्रेक मारने से ट्रेक्टर पलट गया था, जिससे उसे कलाई और उंगली में चोट आई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे और मुलाहिजा करवाया था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि दुर्घटना दिनांक को आरोपी वाहन को चला रहा था।
- 14— कुमारी कमलेश्वरी (अ.सा.१) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानती है। घटना करीब दो वर्ष पूर्व की 29 तारीख की उदघाटी मोड़ की है। घटना दिनांक को वह ग्राम करांगी मेला ट्रेक्टर में बैठकर जा रहा था। सामने से मोटरसाईकिल आ रही थी, जिसे बचाने के लिए ब्रेक मारा तो मोटरसाईकिल वाला बच गया और ट्रेक्टर ट्रॉली पलट गई थी। दुर्घटना ट्रेक्टर चालक की गलती से हुई थी, जो ट्रेक्टर को तेज गित से चला रहा था। दुर्घटना में उसे बांए पैर एवं घुटने तथा ऐड़ी में चोट लगी थी। उसका ईलाज बालाघाट अस्पताल में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि सामने से आ रही मोटरसाइकिल को बचाने के लिए वाहन चालक ने ब्रेक लगाया था, जिससे गाड़ी पलट गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अचानक मोटरसाइकिल सामने आ जाने के कारण दुर्घटना हुई थी।

15— एमेश्वरी (अ.सा.10) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी लोकेश कुमार को जानती है। घटना लगभग 3—4 वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह ट्रेक्टर में बैठकर मेला कुल्पा से घोंदी आ रही थी और ट्रेक्टर में 20—25 लोग भी बैठे हुए थे और ट्रेक्टर में ट्रॉली भी लगी हुई थी। ट्रेक्टर को आरोपी लोकेश चला रहा था, जैसे ही ट्रेक्टर उदघाटी के बीच में आम गोलाई पर पहुंचा तो सामने से एक मोटरसाईकिल आ रही थी, जिसे बचाने के कारण ट्रेक्टर पलट गया था, जिससे उसके हाथ और पैर में चोट आई थी। दुर्घटना आरोपी लोकेश की गलती से घटित हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि दुर्घटना दिनांक को आरोपी वाहन का हॉर्न बजा रहा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि ट्रेक्टर चालक ने वाहन को सामने से आती हुई मोटरसाईकिल को बचाने के लिए ब्रेक लगाया था, जिससे वाहन पलट गया था।

16— महेश उइके (अ.सा.18) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना बयान से लगभग 5 वर्ष पूर्व शाम 4:30 बजे की उँटघाटी और बंजारी मार्ग की है। वह ग्राम कसंगी से अपने गांव घोंदी ट्रेक्टर में बैठकर अपना सामान लेकर आ रहा था। ट्रेक्टर को घटना के समय आरोपी चला रहा था। आरोपी शराब पीए हुए था और उसने ट्रेक्टर को उँटघाटी और बंजारी के बीच गोलाई में तेजी से चलाया जिससे ट्रेक्टर की ट्रॉली पलट गई थी और जिसमें उसका बांया पैर फेक्चर हो गया था। दुर्घटना आरोपी की गलती से घटित हुई थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर मेरे बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने पुलिस को बताया था कि आरोपी शराब पीकर वाहन चला रहा था, परंतु साक्षी के पुलिस कथन प्रदर्श डी—1 में शराब पीकर गाड़ी चलाने का उल्लेख नहीं है।

डॉ. निलय जैन (अ.सा.15) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि वह दिनांक—29.01.10 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक हीरालाल द्वारा आहतगण राजकुमार, कुसवती, भूपेन्द्र, कमलेश्वरी, विजय, महेश, ऐमेश्वरी, फूलसिंह, महेश पिता इंदूसिंह, रूपेश, संपत, राजेश, सुरजीत, को परीक्षण हेतु लाया गया था। जिनका परीक्षण करने पर साक्षी ने अभिमत दिया है कि सभी आहतगण को आई चोटें किसी कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना संभावित थी, जो उसके परीक्षण से 3 से 4 घंटे की भीतर की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—6 से लगायत 17 है, जिनके अ से अभाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उसने आहतगण की बाह्य रोगी एवं प्राथमिक उपचार टिकट प्रदर्श पी—18 से प्रदर्श पी—43 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में

साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि आहतगण को चोटें नहीं आई थी और क्लेम की राशि दिलवाने के लिए उसने झूठी रिपोर्ट तैयार की थी।

वां. आर.के. चतुर्वेदी (अ.सा.17) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक—30.01.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक खेमराज द्वारा आहतगण चेतन, सुक्कलिसंह, धनेश कुमार को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था, जिनका परीक्षण करने पर उसने अपने अभिमत में कहा है कि तीनों आहतगण को आई सभी चोटें किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना संभावित थी तथा साधारण प्रकृति की थी और उसके परीक्षण से 24 घंटे की भीतर की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—44, 45, 46 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

अनुसंधानकर्ता के.सी. पटले (अ.सा.१६) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-29.01.2010 को थाना रूपझर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा चेतनसिंह उयके की मौखिक रिपोट पर चालक आरोपी लोकेश के विरूद्ध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-13/2010, धारा-279, 337 भा.द.वि. प्रदर्श पी-1 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-30.01.2010 को चेतनसिंह उयके की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी चेतनसिंह, साक्षी घनेश कुमार, सुक्कलिसंह, राजकुमार के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-30. 01.2010 को आरोपी लोकेश कुमार से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 अनुसार एक ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी-51/एम-1665 मय ट्रॉली के जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-16.04.2010 को पुष्पवंती, फूलसिंह, दीपेन्द्र, रूपेश, विजय, राजेश एवं दिनांक-19.04.2010 को सुरजीत, सम्पत, हेमेश्वरी, कमलेश्वरी, राजकुमार, महेश के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। जप्तशुदा वाहन का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया था। आहतगण की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त कर आहतगण को फ्रेक्चर होने से अंतिम प्रतिवेदन में धारा-338 भा.द.वि. एवं चालक के पास वाहन चलाने का लायसेंस न होने से धारा—3 / 181, वाहन का बीमा न होने से धारा—146 / 196 एवं वाहन के दस्तावेज पेश न करने धारा–130(3), 177 मो.व्ही.एक्ट बढ़ाई गई थी। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में साक्षी के कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

20— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 के अपराध का अभियोग है। अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी ने घटना दिनांक को ट्रेक्टर ट्रॉली को लापरवाही व उतावलेपन से चलाकर वाहन को पलटा दिया था, जिससे उसमें बैठे लोगों को चोटे आई थी। जितने भी अभियोजन साक्षियों का न्यायालयीन परीक्षण कराया गया है, उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि वे इस प्रकरण में आहत भी है। सभी आहतगण ने कहा है कि दुर्घटना दिनांक को आरोपी ट्रेक्टर वाहन चला रहा था। घटनास्थल पर अचानक एक मोटरसाइकिल सामने आ गई, जिससे आरोपी ने ट्रेक्टर में ब्रेक लगाया और ट्रॉली पलट गई।

21— अभियोजन साक्षी चेतनसिंह (अ.सा.1) ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी यदि ट्रेक्टर का ब्रेक नहीं लगाता तो सामने से आ रही मोटरसाइकिल से दुर्घटना हो जाती और ब्रेक लगाने के कारण ही ट्रॉली पलट गई थी। इसी प्रकार का कथन लगभग सभी अभियोजन साक्षी जिन्हें दुर्घटना में चोट आई थी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में किया है और कहा है कि मोटरसाईकिल को बचाने के लिए चालक ने ब्रेक लगाया था और ट्रॉली पलट गई थी। इस प्रकार आरोपी द्वारा सआशय उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से वाहन चालाया जाना प्रमाणित नहीं होता, क्योंकि दुर्घटना के समय सामने से किसी मोटरसाइकिल को बचाने का प्रयास करना भी वाहन चालक के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहित की धारा—279 के अपराध के लिए दोषमुक्त किया जाता है।

22— प्रकरण में आहतगण चेतनसिंह, सुक्कलसिंह, धनेश कुमार, राजकुमार, फूलवंती, महेश, योगेश्वरी, फूलसिंह, रूपेश, संपत, राजेश, सुरजीत को साधारण उपहित कारित कर, आहत भूपेन्द्र, महेश, विजय, कमलेश्वरी को ट्रेक्टर पलटकर घोर उपहित कारित हुई है। समस्त अभियोजन साक्षियों द्वारा कहा गया है कि ट्रॉली पलटने से उन्हें चोट आई थी। उपरोक्त विवेचना में यह नहीं पाया गया है कि आरोपी ने उपेक्षापूर्वक व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया था, इसलिए आहतगण को आई चोटों के लिए भी आरोपी को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—337 व 338 का अपराध किया जाना भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहित की धारा—337 व 338 के अपराध के लिए दोषमुक्त किया जाता है।

23— अभियोजन कहानी के अनुसार वाहन ट्रेक्टर क्रमांक—एम. पी—51 / एम—1665 को घटना दिनांक को आरोपी चला रहा था, जिससे दुर्घटना हुई

थी। सभी अभियोजन साक्षी जिन्हें दुर्घटना में चोट आई थी ने कहा है कि घटना के समय आरोपी लोकेश वाहन चला रहा था। प्रकरण में विवेचक के.सी. पटले ने कहा है कि उसने आरोपी से वाहन क्रमांक-एम.पी-51 / एम-1665 को साक्षियों के समक्ष मय ट्रॉली के जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया था। आरोपी के पास वाहन चलाने का लायसेंस नहीं होने से मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181 तथा वाहन का बीमा न होने से धारा—146/196 मोटरयान अधिनियम का ईजाफा किया गया था। आरोपी ने अपने बचाव में यह नहीं कहा है कि वह उपरोक्त वाहन को घटना के समय वह नहीं चला रहा था। साक्षी राजेन्द्र प्रसाद डोंगरे (अ.सा.19) ने कहा है कि उसने वाहन का मैकेनिकल परीक्षण किया था और उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–47 प्रस्तुत की थी। उपरोक्त साक्षियों का बचाव पक्ष द्वारा खण्डन नहीं किया गया है कि दुर्घटना इसी वाहन से नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में वाहन क्रमांक-एम. पी-51 / एम-1665 से ही दुर्घटना होना प्रमाणित पाया जाता है। आरोपी द्वारा दुर्घटना के समय उपरोक्त वाहन को चलाने का वैध लायसेंस होने के संबंध में कोई भी दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही वाहन का दुर्घटना दिनांक को बीमित होने के संबंध में दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा-3 / 181, 146 / 196 का अपराध किया जाना प्रमाणित पाया जाता है एवं आरोपी को उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत सिद्धदोष पाया जाता है।

- 24— आरोपी द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा—3/181 के अपराध के लिए 200/—रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न चुकाए जाने की दशा में आरोपी को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे तथा मोटरयान अधिनियम की धारा—146/196 के अपराध के लिए 500/—रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है अर्थदण्ड की राशि न चुकाये जाने की दशा में आरोपी को 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 25— प्रकरण में आरोपी अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा–428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 26— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा–437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।
- 27— आरोपी को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।
- 28— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन एक ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी—51/एम—1664 व ट्रॉली क्रमांक—एम.पी—51/एम—1665 को मय दस्तावेज के सुपुर्ददार भैयालाल कटरे पिता दयाराम कटरे, जाति पंवार, सािकन उकवा, थाना रूपझर जिला बालाघाट को प्रदान किया गया है, जो अपील अविध पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे

अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे। fu.kZ; [kqys U;k;ky; esa gLrk{kfjr o मेरे निर्देशन में टंकित किया गया। दिनांकित कर घोषित किया गया।

बैहर, दिनांक—23.05.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट